मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 (फाल्गुन 28, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 143 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 155 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267 के अधीन लंबित सूनाओं में से 47 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई. अत: निम्नलिखित सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गई मानी जाएंगी एवं इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. तदनुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में नर्मदा पेयजल आपूर्ति में भेदभाव करने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की इंदौर उज्जैन संभाग में तकनीकी तौर पर दक्ष पुलिस न होने,
(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के मकरोनिया चौराहा तक से बटालियन मार्ग जर्जर होने,
(4) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर क्षेत्र में अपराधियों पर कार्रवाई न होने,
(5) श्री के.के.श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ से दिगौड़ा मार्ग स्थित हीरा नगर तिगैला से बजरूआ मार्ग जीर्ण शीर्ण होने,
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच के तहसील जीरन में महाविद्यालय खोले जाने,
(7) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र में संस्कृति महोत्सव न मनाये जाने,
(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर स्थित महाविद्यालय में एल.एल.बी. की कक्षाएँ प्रारंभ की जाने,
(9) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के त्यौंथर में अस्पताल का उन्नयन न किये जाने,
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिलान्तर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा पीने का पानी उपलब्ध न कराये जाने,
(11) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना की घनी बस्तियों के घर के ऊपर से हाईटेंशन लाइन जाने,
(12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में पदस्थ सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की जाने,
(13) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की मऊगंज के ग्राम खजूरहन का पुल जीर्ण शीर्ण होने,
(14) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ के ग्राम मगरिया में स्टॉप डेम निर्माण किये जाने,
(15) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगोन जिले में दीनदयाल अंत्योदय स्वास्थ्य उपचार योजना की डायरी समाप्त करने से समस्या उत्पन्न होने,
(16) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले में रेल्वे द्वारा अवैध निर्माण हटाये जाने,
(17) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में गृह निर्माण हाउसिंग सोसायटी द्वारा प्लाटों का आवंटन न किये जाने,
(18) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलों के नष्ट होने
(19) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा जिले के मनगंवा से इलाहाबाद एन.एच. 27 का कार्य अधूरा होने,
(20) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में स्थित महाभारत कालीन अतिप्राचीन गढ़ी नष्ट होने की कगार पर पहुंचने,
(21) श्री राजकुमार मेव, सदस्य की मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पट्टे की भूमियों संबंधी फ्री-होल्ड अधिकार नियम, 2010 का पालन न किये जाने,
(22) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुण्डों एवं बदमाशों का अड्डा बनने,
(23) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में शवदाह हेतु लकड़ी न मिलने,
(24) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की प्रदेश के दै.वे.भो. कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी नियमित न किये जाने,
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 50 के भरत नगर के शासकीय आवासों में स्ट्रीट लाइट न होने,

(26) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सीहोर जिले की तहसील इछावर में बी.पी.एल राशन कार्ड बनाने में गरिबों के साथ अन्याय किये जाने,
(27) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से परेशानी होने,
(28) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की प्रदेश के नगर निगम दै.वे.भो. कर्मचारी को वेतन भुगतान न होने,
(29) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बाउंड्रीवॉल बनाई जाने,
(30) श्री सुंदरलाल तिवारी , सदस्य की सीधी जिले की ग्राम पंचायत खेरा के तत्कालीन सचिव द्वारा अनियमितता की जाने,
(31) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले के ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी में गन्दे पानी की निकासी न होने,
(32) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की भोपाल के रोहित नगर में क्रांकीट कार्य में अनियमितता होने,
(33) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की आष्टा के झलेला नाले पर पुल बनाये जाने,
(34) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में तुषार दारवेकर नामक बदमाश पर कार्रवाई न होने,
(35) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर में बायपास सड़क का निर्माण न होने,
(36) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर जिले में पेयजल संकट होने,
(37) श्री ठाकुर दास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में हैण्डपंपों से पानी न आने,
(38) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जबलपुर जिले में नवीन ई-खसरा प्रणाली के तहत ऑनलाईन खसरा अद्यतन किए जाने से डिजीटल मैप उपलब्ध न होने,
(39) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में ए.बी.रोड चौराहे पर यातायात का भारी दवाब होने,
(40) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव - कन्नौद के सिविल अस्पताल में दवाओं की कमी होने,
(41) श्री संजय पाठक, सदस्य की बाणसागर परियोजना में विजयराघवगढ़ के किसानों को जमीन का मुआवजा न दिये जाने,
(42) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की देवास जिले में वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने,
(43) श्री जालम सिंह, सदस्य की प्रदेश के रिक्त पड़े वेयरहाउस धारकों को ऋण किश्त पटाने का संकट होने,
(44) श्री इन्दर सिंह परमार,सदस्य की शाजापुर जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शैक्षणिक संस्थाओं एवं कृषि संकाय प्रारंभ किए जाने,
(45) डॉ. योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की लखनादौन अंतर्गत घंसौर विकास खण्ड में ओवरलोडेड ट्रकों के आवागमन से सड़क मार्ग जर्जर होने,
(46) श्री आर.डी.प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्य अधूरे होने तथा
(47) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा घटिया स्तर की केबल लगाये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2014-2015 पटल पर रखे.

4. निन्दा प्रस्ताव

लातूर में MIM के नेता (श्री औवेसी) के "भारत माता की जय" बोलने से इंकार करने विषयक विवादास्पद बयान व कृत्य तथा जे.एन.यू. दिल्ली में आतंकवादी (अफजल गुरू) के पक्ष में देश विरोधी नारे लगाने के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव (पारित)

श्री जितू पटवारी, सदस्य ने आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया कि - मैंने एक निंदा प्रस्ताव की सूचना दी है. लातूर में एक एमआईएम के नेता ने भारत माता की जय बोलने से इंकार किया है. इस संदर्भ में डिस्कवरी ऑफ इंण्डिया में जब देश की जनता ने पंडित नेहरू जी से पूछा कि भारत माता की जय क्या है तब उन्होंने कहा था कि सभी भारतवासी, यहां की नदियां, पहाड़, सभ्यता, भाईचारा, मिली जुली संस्कृति और हिन्दू-मुस्लिम-सिख-इसाई का अनोखा व्यवहार ही भारत माता है और इसी की हम रोज जय करते हैं. भारत का संविधान उदारवादी और सबको महत्व देने वाला है परन्तु राजनीतिक लाभ के लिए भारत मां का अपमान करना और यह कहना कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, यह निंदनीय है. अत: सर्वसम्मति से इसकी पूरे सदन को निंदा करनी चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा लाए विषय का समर्थन करते हुए मत व्यक्त किया कि सवाल भारत मां की जय बोलने का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो लंबे समय से इस देश में विभाजन की रेखा खींचने की कोशिश कर रही है. ये वे लोग हैं जो सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए समाज या देश को बांटना चाहते हैं. इनके मुंह से अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी बात तो आपने सुनी होगी लेकिन कभी अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के बारे में एक शब्द नहीं सुना होगा.

पिछले कुछ सालों से देश के अंदर इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश की जनता को विषयों एवं मुद्दों से भटकाया जाए. देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि का विषय न रहे. भारत तेरे टुकड़े होंगे - इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह - ऐसे नारे इस देश के अंदर गूंजेंगे तो इससे बड़ी निंदा की बुरी बात कोई नहीं हो सकती, कहा जा रहा है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, कौन हैं कातिल उसके ? क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कातिल हैं ? हम उस मानसिकता का विरोध करते हैं कि जो लोग भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं. इसलिये अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि श्री जितू पटवारी के प्रस्तावित विषय पर, यह संपूर्ण सदन अफजल गुरु और औवेसी संबंधी इन दोनों घटनाओं के लिए समवेत रूप से निन्दा करे.

अध्यक्ष महोदय ने सम्पूर्ण सदन की ओर से उदगार प्रकट किए कि - डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा MIM के नेता श्री औवेसी द्वारा भारत माता की जय न बोलने संबंधी विवादास्पद बयान के परिप्रेक्ष्य में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं वह सही हैं. किसी भी धर्म या संप्रदाय में मातृभूमि के प्रति इस तरह के भाव का कोई स्थान नहीं है. ऐसा कृत्य देश के सम्मान के विरूद्ध है तथा सर्वथा निन्दा किये जाने योग्य है. यह हर्ष का विषय है कि राज्यसभा में भी श्री जावेद अख्तर ने इस बयान की निंदा की है और अलग-अलग अवसरों पर देश के कई स्थानों पर इस्लामिक धर्म गुरूओं द्वारा भी इस बयान की निंदा की गई है. स्वयं को सदन की भावनाओं से जोड़ता हूं.

अत: यह सदन एक मत से MIM के नेता के विवादास्पद बयान व कृत्य तथा जे.एन.यू. दिल्ली में अफजल गुरू के पक्ष में देश विरोधी नारों की निंदा करता है. प्रस्ताव पारित हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित समस्त माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर "भारत माता" की जय एवं "वन्दे मातरम्" के नारे लगाये गये)

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 28 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई.

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल एवं कमलेश्वर पटेल, सदस्यगण ने सीधी जिले में अपात्र लोगों को इंदिरा आवास का आवंटन किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री के.पी.सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में हैण्डपंप एवं नल जल योजना बंद होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) सर्वश्री शंकरलाल तिवारी, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने प्रदेश के उद्यमिता विकास केन्द्र के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची के पद 3 (3) में उल्लिखित ध्यानाकर्षण के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत विभागीय वक्तव्य के संबंध में उल्लेख किया कि यह अत्यंत गंभीर बात है. पहली बात, अगर ध्यानाकर्षण सूचना अग्राह्य करना हो तो शासन की ओर से अग्राह्य करने का हमारे पास आग्रह आता है लेकिन यदि वह ग्राह्य कर लिया जाये तो उसकी ग्राह्यता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता. लेकिन विभाग ने जवाब में उठाया यह गंभीर बात है. दूसरा कि विभाग ने जिस नियम का हवाला दिया. वह प्रश्न का हवाला दिया है, और यह ध्यानाकर्षण है. ध्यानाकर्षण में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ शासन से संबंधित विभागों के विषय पूछे जायेंगे. अविलंबनीय लोक महत्व की कोई भी घटना जो प्रदेश में घटित होती है, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है. उस पर ध्यानाकर्षण लाया जा सकता है. यही नियम है. कृपया विभाग के अधिकारियों को बतायें कि भविष्य में वे ऐसी गलती ना करें और ध्यानाकर्षण और प्रश्नों के संबंध में यदि उनको कुछ कहना ही है तो नियम ठीक से पढ़ें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आसंदी को सूचित किया कि आज विभाग की सम्मानित प्रभारी मंत्री महोदया भी नहीं हैं और उनके प्रमुख सचिव भी नहीं है. वे हैदराबाद में एक बहुत बड़ी उद्योग समिट चल रही है उसमें गये हुए हैं. आपने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है. मैंने भी उस विषय को देखा था और वास्तव में यह अधिकारियों की गलती है, ऐसा मैं मानता हूं. चूंकि मैं भार साधक मंत्री ही सही, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं और भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी ताकीद करूंगा.

7. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने संबधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हो सकी.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, नरेन्द्र सिंह कुशवाह, श्रीमती अर्चना चिटनिस, सर्वश्री कैलाश चावला, घनश्याम पिरोनिया, सदस्यगण ने मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर खनिज माफिया द्वारा वन कर्मी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

8. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यवाही में उल्लेखित ध्यानाकर्षण पर कार्यवाही होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

9. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

10. बहिर्गमन

(श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

11. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (28) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(7) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की पिपलौदा तहसील अंतर्गत खोडाना तालाब का रख-रखाव न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में पेयजल योजना बंद होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले स्थित महेन्द्र सागर तालाब बंधान क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी क्षेत्र में नहर के निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

(11) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य की लांजी क्षेत्र के ग्राम कुआगोदी में वन अधिकार के तहत पट्टे न दिये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना के कैलारस शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों एवं कर्मचारियों का भुगतान न होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, सदस्य की पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर सूत मिल की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा ग्रामोद्योग मंत्री का वक्तव्य.

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पाइप खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में पिपल्याहाना तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

(18) कुंवर सौरभ सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्यगण की मध्य प्रदेश दुग्ध संघ द्वारा पानी युक्त दूध का प्रदाय किये जाने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की भोपाल में निजी भूमि की आड़ में वनों की अवैध कटाई किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य की उमरिया जिले के ग्राम खुटारा में आदिवासी परिवार का मकान जलाये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(21) सर्वश्री आरिफ अकील, ओमकार सिंह मरकाम, कैलाश चावला, सदस्यगण की मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार होने संबंधी सूचना तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की शहडोल जिले के ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम ओदारी में पुलिया निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ट्रामा यूनिट का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली जिले में स्थित औद्योगिक ईकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की खरगौन जिले में उप संचालक कृषि द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के कुंवर चैन सिंह सागर बांध के डूब प्रभावितों के अलग-अलग गांवों में पुनर्वास संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(27) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के ग्राम सांईखेड़ा में निर्मित प्रधानमंत्री सड़क की जर्जर स्थिति होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(28) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सीधी जिले की महान परियोजना में शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(अपराह्न 1.44 बजे से 3.21 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दशम्, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश् तथा षोडश प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(2) श्री कैलाश चावला, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(2) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(3) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर)
(4) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़)
(5) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा)
(6) श्री विजयसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन)
(7) डॉ. गोविंद सिंह (जिला-भिण्ड)
(8) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(9) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(10) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(11) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(12) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(13) श्री चैतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(14) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(15) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(16) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(17) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(18) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(19) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोकनगर)
(20) श्री विजयपाल सिंह (जिला-होशंगाबाद)
(21) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(22) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(23) श्री सुशील कुमार तिवारी (इन्दू भैया) (जिला-जबलपुर)
(24) श्री कुंवरसिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(25) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(26) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(27) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(28) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(29) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(30) श्री गोविंद सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(31) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)
(32) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(33) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(34) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(35) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(36) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(37) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
(38) श्री संजय उईके (जिला-बालाघाट)
(39) श्री घनश्याम पिरोनियां (जिला-दतिया)

14. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री कैलाश चावला, सभापति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 229 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -

"यह सदन आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करे.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. अध्यक्षीय घोषणा
विनियोग विधेयक पर चर्चा उपरांत अशासकीय कार्य लेने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - आज शुक्रवार होने की वजह से आखिरी ढाई घंटे अशासकीय कार्य हेतु नियत हैं परन्तु कार्यसूची में अंकित विनियोग विधेयक पर चर्चा उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री के.के. श्रीवास्तव

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(5) श्री जितू पटवारी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(6) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. अशासकीय संकल्प

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत आदि कार्य के लिये एक कैलेंडर बनाया जाये जिसमें जुलाई -अगस्त में सड़कों का निरीक्षण कर उचित रख-रखाव, सितंबर माह में खराब सड़कों की जानकारी व टेंडर आदि प्रक्रिया तथा अक्टूबर-नवंबर माह में मरम्मत/पैचवर्क आदि कार्य किये जायें.".

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विश्वास सारंग
(2) डॉ. गोविन्द सिंह

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के पद क्रमांक - 8 के उप पद (4) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

19. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ.

(2) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि खजुराहो हवाई अड्डे का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा जाए.". तथा उसके समर्थन में वक्तव्य दिया. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाकर बाहर जंगलों में भेजे जाने की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जाये.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(4) कुंवर विक्रम सिंह
(5) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) श्री पन्नालाल शाक्य

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की सहमति से संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(4) सर्वश्री दिव्यराज सिंह, शंकरलाल तिवारी एवं अशोक रोहाणी, सदस्यगण द्वारा क्रमश: निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किये गए -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि - (i) "डभौरा" रेल्वे स्टेशन को डी.आर.एम.झांसी से हटाकर डी.आर.एम. जबलपुर से संबद्ध किया जाये, (ii) रीवा से इलाहाबाद के लिये सतना होकर नई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाये, (iii) रांझी से लेकर भेड़ाघाट स्टेशन तक नागरिकों के आवागमन की सुविधा हेतु डी.एम.यू. शटल (लोकल) ट्रेन चलाई जाये.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दिव्यराज सिंह
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री अशोक रोहाणी
(4) श्री महेश राय

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त संकल्प सर्वसम्मति से पास करने का अनुरोध किया.

समस्त संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुए.

20. अध्यक्षीय घोषणा

दिनांक 28 मार्च 2016 (रंगपंचमी त्यौहार) की बैठक स्थगित किये जाने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि दिनांक 28 मार्च, 2016 को रंगपंचमी त्यौहार है इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. तद्नुसार फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की दिनांक 28 मार्च, 2016 की बैठक नहीं होगी.

अपराह्न 6.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 (9 चैत्र फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 मार्च, 2016